

श्री ना० कृ० शंजवलकर : मेरा निवेदन यह है ..

MR. CHAIRMAN : No please.

श्री ना० कृ० शंजवलकर : इसी से सम्बन्धित है। डिफेक्शन्स के बारे में ही मेरा सवाल है। इसे बन्द करने के लिए कुछ करने वाले हैं ?

श्री सभापति : उन्होंने जवाब दे दिया।

उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा

*3. श्री राम सहाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने उस रेलवे पर बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए 26 से 29 मार्च, 1970 तक एक अभियान चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में कुछ रेल कर्मचारी भी थे; और

(ग) उनसे दंड के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई और कितने व्यक्ति दंड की राशि न चुका सके ?

†[TICKETLESS TRAVEL ON NORTHERN RAILWAY

*3. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a campaign was launched by the Northern Railway authorities to detect ticketless travel from the 26th to 29th March, 1970 on that Railway;

(b) if so, the number of persons who were arrested in this connection and whether some railway employees were also among the arrested persons; and

(c) the amount of money realised from them as penalty and the number of persons who could not pay the penalty?]

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) मुकदमा चलाने के लिए कुछ 423 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कोई भी व्यक्ति रेल कर्मचारी नहीं था।

(ग) 171 व्यक्तियों से किराये, दण्ड और न्यायिक जुर्माने के रूप में 28,619 रुपये 35 पैसे वसूल किये गये।

लेकिन 252 व्यक्ति जुर्माने की रकम नहीं दे पाये, इसलिए उन्हें जेल भेजा गया।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ROHANLAL CHATURVEDI) : (a) Yes, Sir.

(b) In all 423 persons were arrested for prosecution. There was no Railway employee among them.

(c) An amount of Rs. 28,619.35 was recovered from 171 persons towards fare, penalty and judicial fine.

However, 252 persons did not pay the dues and they were imprisoned.]

श्री राम सहाय : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकूंगा कि जो लोग पकड़े गए उनमें किस-किस श्रेणी के लोग थे, क्या रेलवे वालों के अलावा कोई सरकारी कर्मचारी थे, बच्चे और नवयुवक कितने थे ? 10 रुपए की जो पेनाल्टी आपने आयद की है, उसके बाद से इसमें कुछ कमी हुई है या बढ़ोत्तरी हुई है, यह बताने की कृपा करें।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब से जून, 1969 से अमेंडमेंट हुआ है- इंडियन रेलवेज ऐक्ट में तब से काफी कमी हुई है।

जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का है कि बच्चे थे या नहीं, सरकारी व्यक्ति थे या नहीं, उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि मेरे पास इतिला केवल रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में है, जो कि पूछी गई थी।

श्री राम सहाय : क्या कुछ ऐसी घटनाएँ आपके नोटिस में आई हैं जिनमें टिकट चैक करने वाले या इस तरह से पकड़ने वाले लोगों के ऊपर हमले किए गए और अगर हमले किए गए, तो आपने उन पर रक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि हमारे टिकट चैकिंग स्टॉप पर हमले हुए । उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आगे इस तरह की परिस्थिति न हो ।

SHRI DALPAT SINGH : May I know from the Minister whether there have been cases where persons, without having any platform tickets have been checked, and if so, what is their number and what is the penalty, because in Delhi Junction we daily see that so persons are going in and coming out without having any platform ticket?

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : As for the point mentioned by the hon. Member about these platform tickets, I am afraid I have not got any information. If the hon. Member wants this particular information about platform tickets, I can supply him.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर उनका यह दावा है कि अबसे नया नियम लागू हुआ तब से बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या घटी है, तो क्या वह इस बात का तुलनात्मक आंकड़ा देने की स्थिति में हैं कि कितने परसेंट बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या घटी और उनके अनुपात में टिकट रहित यात्रा करने वालों से होने वाले आमदनी कितनी बढ़ी ।

आजकल ये नियम बना दिया है कि गार्ड का सर्तिफिकेट भी बिना प्लेटफार्म टिकट लिए हुए प्राप्त नहीं होना । तो ऐसे कितने केसेज हैं, जिन पर मुकदमा चला और सजा हुई, जिन्होंने अपने मुकदमों के अवसर पर यह प्लीडी कि चूँकि वहाँ पर प्लेटफार्म टिकट लेने की अलग खिड़की नहीं थी, इस वजह से वे प्लेटफार्म टिकट नहीं ले सके और गार्ड का सर्तिफिकेट भी प्राप्त नहीं कर सके ?

2—21 R. S./70.

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : पहला प्रश्न माननीय सदस्य का कम्पैरेटिव फिगरस के बारे में है । जून, 1969 में जब से नया नियम लागू हुआ है, तब से मैं आंकड़े दे सकता हूँ—

टोटल नम्बर आफ केसेज 1968-69 में 9,19,077

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : ये बिना टिकट पकड़े गए लोगों की संख्या बता रहे हैं । मैंने केवल यह पूछा कि बिना टिकट चलने वाले की संख्या कितनी घटी है, उसके अनुपात में आपके रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई है ।

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : Number of cases : in 1968-69 9,19,077; in 1969-70 6,13,612. Amount recovered : in 1968-69 Rs. 26,69,531; in 1969-70 Rs. 24,51,239.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जो संख्या घटी है बिना टिकट चलने वालों की उससे रेवेन्यू कितना बढ़ा है ?

श्री सभापति : उम्मी को बताइए ।

SHRI GULZARILAL NANDA : He is answering in a precise way what has been the measure of increase in revenue. This is 6.2 per cent increase in the earnings of Railways; 7.1 per cent in sale of tickets.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Reduction in ticketless travel comparatively?

SHRI GULZARILAL NANDA : This is reflected in this; 7.1 per cent increase in sale of tickets.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैंने पूछा कि जिन पर मुकदमा चला उनमें से कितने लोगों के पास प्लेटफार्म टिकट नहीं थे, जिसके अभाव में वे गार्ड का सर्तिफिकेट प्राप्त नहीं कर सके और इसलिए वे टिकटलेस ट्रेवलिंग के जुर्म में सजावार पाए गए, उसकी कुछ एनालिसिस की है । मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अलग से स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट देने की व्यवस्था नहीं की । अगर आपने यह इन्तजाम किए बिना यह कम्पलसरी कर दिया है कि प्लेटफार्म टिकट

के बिना गार्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकेगा, तो इस वास्तविक कठिनाई के समाधान के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री सभापति : वे सुविधाएं उन्होंने पहले नहीं दी जिस समय कि वे टिकट ले सकते थे और जब वे पकड़े गये तो उनसे जुर्माना रिया-लाइज हुआ ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : सभापति जी, जहां तक यह असुविधा माननीय सदस्य ने बताई कि बुकिंग विंडोज के कम होने की वजह से लोग टिकट नहीं ले पाते और बहुत से केसेज में उनका यह डिफेंस भी रहा, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां पैसंजर्स काफी हैं, वहां हम ज्यादा से ज्यादा बुकिंग विंडोज देने की कोशिश कर रहे हैं । हो सकता है कि कहीं-कहीं ऐसी कठिनाई हो, लेकिन हम इस पर पूरा ध्यान देते हैं । ये जो आकड़े माननीय सदस्य ने मागे हैं कि कितने केसेज में बुकिंग विंडोज पर टिकट नहीं मिले, इसके बारे में मेरे पास इस वक्त इतिला नहीं है ।

MR. CHAIRMAN : Mr. A. P. Jain.

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं अतना हक त्रिलोकी सिंह जी को दे दूंगा, अगर आप उनको इजाजत दे दें ।

श्री सभापति : नहीं, आप बैठ जाइये ।
Please sit down if you do not want to put a question.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : Sir, on a point of order. This is not a transferable right

SHRI A. P. JAIN : All right, I shall put the question.

MR. CHAIRMAN : Then why not put it?

श्री ए० पी० जैन : All right चेदरमैन साहब, कुछ आदमियों पर जुर्माना हुआ और उन्होंने जुर्माना भर दिया । कुछ लोगों को सजा हुई और उन्होंने कैद काटी । कानून

मुताबिक कैद के बाद भी उनसे जुर्माना वसूल किया जा सकता है । तो जिन लोगों ने कैद काटी उनसे जो उन पर जुर्माना किया गया था वह वसूल किया जायेगा या नहीं ।

SHRI AKBAR ALI KHAN : Sir, on a point of order. I think Mr. Jain's question would encourage Shylock mentality in the Government and I request you not to allow this question.

MR. CHAIRMAN : I have allowed the question; please sit down.

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : So far as my information goes I do not think that after the imprisonment served by the passenger we have been able to realise the amount.

SHRI THILLAI VILLALAN : I would like to know from the hon. Minister whether the Northern Railway authorities after the campaign have given any reasons for ticketless travelling and if so whether overcrowding in trains is included in those reasons. May I also know what steps have been taken by this Government not only in the Northern Railway but in all the Railways all over the country about that?

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : Sir, as far as the problem of overcrowding is concerned, we are doing our utmost to increase in various ways the line capacity by having more and better locomotives and . . .

SHRI THILLAI VILLALAN : My question was whether overcrowding is one of the reasons for ticketless travel.

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : We cannot say specially this is the reason for ticketless travel. It would not be possible for me to say exactly that is the reason. Whether overcrowding is the reason for ticketless travel, I would not comment on that.

श्री ना० कृ० शेजवलकर : माननीय मंत्री जी ने जो अभी बुकिंग विंडोज के सम्बन्ध में उत्तर दिया, उसी के मंदर्भ में मैं कुछ पूछना चाहता हूं । हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने बम्बई और कुछ अन्य स्थानों में भ्रमण कर के देखा है, आपने बुकिंग विंडोज पर जो भीड़ होती है, उसको भी देखा होगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि लोकल ट्रेन्स में टिकट कितनी ढेर में

मिल जाय, इसके लिए आपने क्या विचार किया है। इसी प्रकार से जंक्शन में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को पांच मिनट में या कितनी देर में टिकट मिल जाय, इसके लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपने अभी बताया कि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक आपने प्रयास नहीं किया तब तक आपने इतना हवी गाइन करना क्यों शुरू कर दिया।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : बहुत हद तक जहाँ-जहाँ यह देखा गया है कि क्युज लम्बी है, जल्दी से टिकट नहीं मिल सकने, वहाँ-वहाँ अभी सुधार किये गये हैं और बुकिंग विंडोज बढ़ाई गई है।

श्री ना० कु० जेजवलकर : आपके सामने आदर्श क्या है कि रजिस्टर ट्रेन्स का टिकट कितनी देर में मिले और हार्ड क्लास का टिकट कितनी देर में मिले ...

श्री सभापति : इसका जवाब वे दे रहे हैं। अभी उन्होंने खत्म नहीं किया है।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : इस सारे मामले में जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहा कमी है ताकि उसे पूरा किया जाय।

श्री ना० कु० जेजवलकर : मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ।

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि मैं जांच करा रहा हूँ।

श्री ना० कु० जेजवलकर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप क्या उद्देश्य अपने सामने रखना चाहते हैं। लोकल ट्रेन्स में पांच मिनट में टिकट मिल जाय या दस मिनट में टिकट मिल जाय, आपके सामने क्या आदर्श है।

(Interruptions)

श्री गुलजारी लाल नन्दा : यह भी जांच में शामिल है।

SHRI R. T. PARTHASARATHY : Mr. Chairman, Sir, may I know from the Government whether it is a fact

that in the Northern Railway we have the largest number of ticketless travellers and in the Southern Railway the least number of ticketless travellers and if so what is the reason which the Government can assign?

Secondly may I know whether as a new policy the Government is going to appoint special checking squads in all the Railways to bring down ticketless travel?

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : Sir, we do provide special ticket checking squads. As for the point mentioned as to why there is more ticketless travel in the Northern Railway while it is not so in the Southern Railway I would only compliment the people in the southern zone that they are more disciplined. As has been mentioned in the question recently we conducted a special checking campaign from 26th to 29th March in four Divisions, Allahabad, Ferozepur and Delhi and one more Division. We pursue this matter. . .

SHRI R. T. PARTHASARATHI : Sir, my question is not being answered properly. My question was whether a new policy has been evolved by the Railway Ministry to appoint permanent special squads in all the Railways. That was the question I was putting.

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : No, Sir. We do not contemplate appointing permanent checking squads. We draw from the existing cadre, from among the persons working and they do the job.

श्री मोहन लाल गौतम : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 80, 90 फीसदी जो छोटे स्टेशन हैं, उन पर कोई प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलता और वहाँ पर एक बावू होता है, जो ट्रेन आने से दस, पंद्रह मिनट पहले ही बुकिंग बंद कर देता है और उन हालत में उन छोटे स्टेशनों पर जिन की संख्या 80, 90 फीसदी है, जो मुसाफिर वक्त पर आते हैं, उनको न तो टिकट मिल सकता है और न प्लेटफार्म टिकट मिल सकता है और ऐसी हालत में अगर उनको जाना होता है, तो उनको बिना टिकट चलने का जुर्माना देना पड़ता है। इसके लिए आप क्या सुविधायें दे रहे हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी, छोटे स्टेशनों पर टिकट मिलने का पूरा प्रबंध है, कोई खास वजह हो तो . . .

(Interruptions)

श्री मोहन लाल गौतम : एक बाबू होता है, जो ट्रेन आने के दस मिनट पहले ही बुकिंग बंद कर देता है। कोई प्लेटफार्म टिकट की व्यवस्था वहां नहीं होती, प्लेटफार्म टिकट वहां मिल नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि क्या सुविधा वहां होती है जो काफी होती है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : अगर माननीय सदस्य किसी ऐसे स्टेशन के बारे में बतायेगे, तो हम जरूर उम की जांच करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम : सारे ही छोटे स्टेशन इसी प्रकार के हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, you are spending too much time on ticketless travel. It is going to be there. Questionless Question Hour.

MR. CHAIRMAN : Next question.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मिसेज तलवार ने भी आपका ध्यान खींचा था और मैंने भी कई बार आपका ध्यान खींचा था . . .

श्री समापति : जब मैंने उधर देखा था तो वे चली गयी थी।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : पता नहीं क्यों आपकी दया दृष्टि हमारी ओर नहीं होती।

*4. [Transferred to the 5th May, 1970].

PHYSICALLY INCAPACITATED EMPLOYEES
IN THE INDIAN RAILWAYS

*5. SHRI SUNDAR SINGH
BHANDARI :

SHRI JAGDISH PRASAD
MATHUR :

Will the Minister of RAILWAYS be
pleased to state :

(a) the number of persons in class
III posts in the Railways who were rendered
physically incapacitated during

†The question was actually asked on
the floor of the House by Shri Sundar
Singh Bhandari.

the last three years, the number out
of them who have been absorbed in
alternative posts and the number of
those whose services were terminated
during this period;

(b) whether it is a fact that some of
the employees who lost one hand are
employed as Travelling Ticket Exami-
ners/Conductors and Ticket Collectors
and also on travelling duties;

(c) whether Government have under
consideration any proposal to utilise the
services of such employees who are Se-
nior Ticket Collectors as T.T.Es. on
sleeper coaches; and

(d) whether Government propose to
earmark certain percentage of vacancies
in ex-cadre post for such incapacitated
staff who have no chances of promo-
tion in their branches?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI GULZARILAL NANDA) : (a)
and (b) The information is being col-
lected and will be laid on the Table of
the Sabha.

(c) and (d) No, Sir.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : यह बड़े दुःख की बात है कि रेलवे कर्मचारियों में से ही जिन को सेवा करते समय ही शारीरिक क्षति पहुंची है, उनकी सूचना सरकार के पास नहीं है। वास्तव में ऐसे लोगों की सहानुभूति के नाते उनका शरीर क्षत हो जाने के बाद उनको विशेष सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए और ऐसी बहुत सी सेवार्यें हैं, जिनमें वे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और बहुत से ऐसे छोटे काम हैं जिन पर वे लगाये जा सकते हैं। क्योंकि काम पर रहते हुए उनको चोट पहुंची है, इसलिए रेलवे में ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जैसा एशोरेंस दिया है इंकामेंशन कलेक्ट करने का, वह इस सूचना को एकत्र कर के इसी सेशन की समाप्ति के पहले-पहले उसे यहाँ प्रस्तुत करेगी; क्योंकि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रुविस में रहते हुए चोट पहुंची है, लेकिन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ सहानुभूति व्यक्त नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वह सूचना मिलने पर हमको इस विषय पर आप डिस्क्शन देने की अनुमति प्रदान करें।